प्रकरण संख्या :– 21/25
तहसीलदार म0 थाना बनाम दयाल
निर्णय दिनाँक :–24.04.2026

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी:– पुष्कर कुमार मित्तल (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 21/25
दायर दिनाँक :– 25.09.2025
निर्णय दिनाँक:– 24.04.2026
उनवान :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 मनोहरथाना

बनाम

दयाल पुत्र भीमा जाति मेघवाल निवासी नारहेड़ा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 01. श्री घनश्याम मीणा नायब तहसीलदार, पैरोकार सरकार
02. श्री गजेन्द्र नामा एडवोकेट अप्रार्थीगण

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार तहसील मनोहरथाना द्वारा सेटलमेंट से पूर्व सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण की गैर–खातेदारी में दर्ज आराजी के स्थान पर राजकीय भूमि गैर–मुमकीन सिवायचक राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खोड़ीबोर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के आराजी खाता संख्या 99 किता 07 कुल रकबा 6.8068 हैक्टैयर भूमि अप्रार्थी दयाल पुत्र भीमा जाति मेघवाल निवासी नारहेड़ा के गैरखातेदारी में राजस्व रिकार्ड दर्ज है। राजस्व ग्राम खोड़ीबोर तहसील म0 थाना की उक्त प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 99 किता 07 कुल रकबा 6.8068 हैक्टेयर भू प्रबंधन विभाग द्वारा प्यारा पुत्र देवा जाति चमार नि0 नारहेड़ा तहसील मनोहरथाना की गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई जो कि राजकीय भूमि थी जिसे किसी दूसरे व्यक्ति/संस्था के पक्ष में गैर–खातेदार नहीं किया जा सकता था, सेटलमेंट जमाबंदी में आवंटन आदेश व दिनांक एवं नामान्तकरण संख्या का अंकन नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा गैर–खातेदारी गलत दर्ज की गई है जिसे शुद्ध किया जाना उचित है जिस हेतु नकल जमाबंदी भी प्रार्थना पत्र के संलग्न की गई है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम खाड़ीबोर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के आराजी खाता संख्या 99 किता 07 कुल रकबा 6.8068 हैक्टैयर भूमि को सेटलमेंट विभाग द्वारा की गई अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कर अप्रार्थीगण की गैर–खातेदारी के स्थान पर ''माफी बलाईगिरी'' राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गैर–खातेदार को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री गजेन्द्र नामा0 का

25.4.26
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि ग्राम खोड़ीबोर की प्रश्नगत आराजी खाता संख्या खाता संख्या 99 किता 07 कुल रकबा 6.8068 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी की गैरखातेदारी में दर्ज है। जिसके संदर्भ में जमाबन्दी सम्वत 2073—76 जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त आराजी माफी बलाईगिरी चाकरी एवं कब्जा प्यारा पि0 देवा जाति चमार निवासी नारहेड़ा नामक व्यक्ति के नाम दर्ज हुई थी। उक्त आराजी पर प्यारा पुत्र देवा उसके वारिसान का निरन्तर बईल्म काबिज काश्त करता चला आ रहा था इसी आधार पर अप्रार्थी के दादा के नाम गेर खातेदारी में दर्ज की गई थी। उक्त वर्णित आराजी को सेटलमेंट विभाग द्वारा गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जिसके संदर्भ में सेटलमेंट विभाग की नकल सम्वत 1 जुलाई 1966 से 30 जून 1986 तक की छायाप्रति जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न की गई है। उक्त वर्णित प्रश्नगत आराजी पर गैर खातेदार प्यारा पुत्र देवा से लगातार काबिज काश्त था तथा उसके उपरान्त उसके वारिसान निरन्तर 70—80 वर्षों से वर्तमान तक प्रश्नगत आराजी पर निर्विरोध काबिज काश्त करते चले आ रहे है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रकरण में पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया कि मुताबिक पटवारी मौका रिपोर्ट एवं जमाबंदी ग्राम खोड़ीबोर की आराजी खाता संख्या 99 किता 07 कुल रकबा 6.8068 हैक्टेयर भूमि बंदोबस्त से माफी चाकरी देह बलाईगिरी व कब्जा प्यारा पि0 देवा जाति चमार निवासी नारहेड़ा की गैर—खातेदारी में दर्ज हो गई है। प्रश्नगत आराजी गलत तरीके से गैर खातेदारी में दर्ज होना प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर उक्त प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 99 किता 07 कुल रकबा 6.8068 हैक्टैयर को अप्रार्थीगण की ''गैरखातेदारी'' के स्थान पर ''माफी बलाईगिरी'' दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, पटवारी मौका रिपोर्ट एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउंटर क्लेम का पूर्ण अवलोकन किया एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी दयाल पुत्र भीमा जाति मेघवाल निवासी नारहेड़ा जो कि वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज है को गलत तरीके से गैर खातेदरी में दर्ज हुई है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं काउंटर क्लेम के माध्यम से भी उन्हे किसी भी तरह का अनुतोष प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी जो कि वर्तमान में गैरखातेदार दर्ज है के नाम बंदोबस्त से पूर्व अवैधानिक तरीक से गैर—खातेदारी में दर्ज हुई थी। चूंकि सैटलमेंट विभाग को माफी बलाईगिरी में दर्ज आराजी को गैर खातेदारी में दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है बावजूद उसके विभाग द्वारा माफी बलाईगिरी की आराजी को अवैधानिक तरीक से गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया जो कि नियमानुसार उचित और विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार

24.4.26
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
कोटपूतली—बहरोड़ (राज.)

प्रकरण संख्या :— 21/25
तहसीलदार म0 थाना बनाम दयाल
निर्णय दिनॉंक :—24.04.2026

प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ग्राम खोड़ीबोर तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड़ के आराजी खाता संख्या 99 किता 07 कुल रकबा 6.8068 हैक्टैयर जो कि अप्रार्थी पूर्वज दयाल के नाम गैरखातेदारी में अशुद्ध प्रविष्टि दर्ज है को विधि अनुरूप शुद्ध कर पुनः ''माफी बलाईगिरी'' में दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में अमल—दरामद किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील मनोहरथाना को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
मनोहरथाना